न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढाना, मुजफ्फरनगर

वाद सं०– 54/12/2025
श्रीमति तैय्यबा बनाम फिरोज आदि
मु०अ०सं०– 09/2025
धारा– 85, 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस.
व 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधि0
थाना महिला पुलिस परामर्श केन्द्र बुढाना, मुजफ्फरनगर

दिनांकः 20.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादिया मुकदमा तैय्यबा उपस्थित।

वादिया मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते स्वीकार करने अंतिम आख्या प्रस्तुत किया गया। वादिया मुकदमा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीया/वादिया उक्त मुकदमे से संबंधित फाईनल रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं करना चाहती है। प्रार्थीया/वादिया व प्रतिवादीगण का पूर्व में समझौता हो गया था, इसलिए प्रार्थीया/वादिया का प्रतिवादीगण के साथ कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं रहा है। न्यायहित में उक्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जानी आवश्यक है। प्रार्थना की गई है कि उक्त वाद की कार्यवाही पर प्रार्थीया/वादिया को कोई आपत्ति न होने के कारण उक्त वाद की कार्यवाही समाप्त करने की कृपा करें।

चूंकि वादिया मुकदमा विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या से संतुष्ट है। प्रपत्रों के परिशीलन से कोई साक्ष्य अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अंतिम आख्या को लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अंतिम आख्या उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद संख्या– 54/12/2025, मु०अ०सं०–09/2025, थाना महिला पुलिस परामर्श केन्द्र बुढाना, मुजफ्फरनगर, अंतर्गत धारा 85, 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस. व 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधि0 में प्रस्तुत अंतिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अमित यादव)
सिविल जज जू०डि०/ न्यायिक मजिस्ट्रेट
बुढाना, मुजफफरनगर